

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

संसं-८ / ज०सं०(नि०) हजा०-०४-०१ / २०१६ ..... / राँची, दिनांक : .....

**संकल्प**

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री उज्जवल कांत प्रसाद (ID- 3971) ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेखित है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री उज्जवल कांत प्रसाद के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम ४३बी के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री उज्जवल कांत प्रसाद, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री ददन चौबे (सेवानिवृत, झा०प्र०से०) विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध के साथ श्री ददन चौबे (सेवानिवृत, झा०प्र०से०) विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए०बिल्डिंग, एच०ई०सी०, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग / श्री उज्जवलकांत प्रसाद, साई आश्रय अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं०-४०३/बी०, अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड, पुनदाग, राँची- ८३४००४ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव  
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक — ..... / राँची, दिनांक— .....

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति के साथ श्री ददन चौबे (सेवानिवृत, झा०प्र०स०) विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए०बिल्डिंग, एच०ई०सी०, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग / श्री उज्जवलकांत प्रसाद, साई आश्रय अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं०-403/बी०, अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड, पुनदाग, राँची— 834004 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2— जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3— प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4— आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०—यथोक्त।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव  
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक — ३६६३ / राँची, दिनांक— ११/१२/१९

प्रतिलिपि : उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव  
जल संसाधन विभाग।  
मामू